आदेश पर व गई कार्रवाही बारे में टिप्पण ता0 सहित

2

## न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, साहेबगंज। मुटेशन अपील वाद सं०—03/2020—21 इन्द्रावती देवी वगै०—बनाम—संजय यादव वगै०।

## -:अपीलार्थीगणः-

- 1. इन्द्रावती देवी, पति—स्व० महेश प्रसाद यादव
- आनन्द यादव, 3. अंगद यादव, दोनों पिता—स्व० महेश प्रसाद यादव, तीनों सा०—तालबन्ना, काली स्थान के निकट, थाना—साहेबगंज (नगर), जिला—साहेबगंज, झारखण्ड।

## -:विपक्षीगण:-

- 1. संजय यादव, 2. रंजय कुमार यादव,
- अजय कुमार यादव, तीनों पिता—स्व० गणेश प्रसाद यादव, तीनों सा०—तालबन्ना, थाना—साहेबगंज (नगर), झारखण्ड।

## -:आदेश:--

यह अपील अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक—24.11.2020 को अंचलाधिकारी, साहेबगंज के नामान्तरण वाद संo—193/2019—2020 पारित आदेश दिनांक—08.02.2020 के विरुद्ध दायर किया गया। अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर विलम्बक्षान्त हेतु आवेदन पर सुनने के पश्चात् विलम्बक्षान्त करते हुए अपीलवाद को अंगीकृत किया गया। विपक्षी (उत्तरवादी) को न्यायालय द्वारा नोटिस करते हुए तामिला कराई गई तथा अंचल अधिकारी साहेबगंज से उक्त नामान्तरण वाद का मूल अभिलेख की मांग की गई। अंचलाधिकारी, साहेबगंज ने पत्रांक:—162/रा०, दिनांक—19.02.2021 द्वारा इस न्यायालय को याचित मूल अभिलेख अपलब्ध कराया गया। मूल अभिलेख की प्राप्ति के पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-शोमनपुर गंगा प्रसाद, जमाबन्दी नं0-679, तौजी नं0-407, खेवट नं0-01, कुल रकवा-03-00-00 (तीन बीघा) जमीन जो कि स्व० गणेश यादव के नाम से रिजस्ट्री द्वारा खरीदी गई है, उक्त जमीन का मुटेशन के लिए आवेदन दाखिल किया तथा दिनांक-24.01.2020 को-16/आना रैयत को नोटिस निर्गत किया तथा दूसरी तारीख दिनांक-08.02.2020 रखा गया। 16/आना रैयत को नोटिस में उक्त (1) संजय यादव, (2) रंजय कुमार यादव एवं (3) अजय कुमार यादव के किसी भी गोतिया से दस्तखत नहीं करवाया गया, बिल्क आनन-फानन में उक्त नोटिस में फर्जी हस्ताक्षर किसी अन्य लोगो के द्वारा करवाकर दूसरी तिथि दिनांक-08.02.2020 को मुटेशन का आदेश पारित कर दिया गया, जो कि बिल्कुल संदेह का आदेश प्रतीत होता है, क्योंकि दिनांक-24.01.2020 को मुटेशन आवेदन दाखिल किया गया तथा दूसरी तिथि को ही अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा आदेश भी पारित कर दिया गया तथा उक्त मुटेशन आवेदन के नोटिस में किसी भी अन्य गोतिया को कोई सूचना नहीं दी गई, बिल्क गोतिया से छुपाकर उनलोगों को धोखे में रखकर उपरोक्त संजय यादव एवं अन्य के द्वारा यह मुटेशन आदेश अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा आनन-फानन एवं हड़बड़ी में यह आदेश करवा लिया गया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि उक्त मुकदमा में आपित दर्ज करने का मौका नहीं दिया गया। बात

बिल्कुल सही है कि उपरोक्त जमीन उक्त संजय यादव, रंजय यादव एवं अजय कुमार यादव के पिता गणेश प्रसाद यादव के जार के उपरोक्त जमीन गणेश प्रसाद पिता गणेश प्रसाद यादव के नाम से रिजस्ट्री द्वारा खरीदी गई है, लेकिन उक्त जमीन गणेश प्रसाद यादव के पिता स्वठ सत्य नागाण कार्यस्ट्री द्वारा खरीदी गई है, लेकिन उक्त जमीन गणेश प्रसाद यादव के पिता स्व॰ सत्य नारायण यादव के द्वारा खरीदी गई है, लेकिन उक्त जमान गनर जीवन काल में ही अपनी जालेक के द्वारा खरीदी गई थी तथा सत्य नारायण यादव अपने जीवन काल में ही अपनी जालेक के द्वारा खरीदी गई थी तथा सत्य का बटवारा अपने छह जीवन काल में ही अपनी उपरोक्त जमीन के साथ-साथ अपनी सारी सम्पति का बटवारा अपने छह पुत्र 1.गणेश प्रसाद यादव २ ग्रेस पुत्र 1.गणेश प्रसाद यादव, 2.महेश प्रसाद यादव, 3.सुरेश यादव, 4.रमेश यादव, किया नया तथा उसमें योगेश यादव के बीच गुजारों के जाराविव, 3.सुरेश यादव, 4.रमेश वादव, किया गया तथा उसमें योगेश यादव के बीच गवाहों के समक्ष कर दिया था जिसका पंचनामा तैयार किया गया तथा उसमें सभी पक्षों का एवं जगहों के समक्ष कर दिया था जिसका पंचनामा तैयार किया गया तथा उसमें सभी पक्षों का एवं जगहों के समक्ष कर दिया था जिसका पंचनामा तैयार किया नवा पंचनामा दिनांक-16.08.1980 को नैसार ि दिनांक—16.08.1980 को तैयार किया गया तथा उसी पंचनामा के आधार पर उपरोक्त समी छह पुत्र अपने—अपने हिस्से की कार्यों अपने अपने हिस्से की सम्पत्ति पर दखल करके अपने अपने परिवार के साथ निवास कर रहें हैं। उक्त बटवारा के अनुस्तर कार्र के साथ निवास कर हैं। उक्त बटवारा के अनुसार उपरोक्त मौजा-शोभनपुर गंगा प्रसाद, जमाबन्दी नं०-679, तौजी नं० 407-408, खेवट नं०-04 407-408, खेवट नं०-01, कुल रकवा-03-00-00 घुर जमीन जो कि स्व० गणेश प्रसाद यादव के नाम से खरीदा गण भारत का विकास के विकास के कालिया करा है जमीन जो कि स्व० गणेश प्रसाद यादव के नाम से खरीदा गण भारत के कालिया करा है जमीन जो कि स्व० गणेश प्रसाद यादव के नाम से खरीदा गण भारत है जमीन जो कि स्व० गणेश प्रसाद यादव के नाम से खरीदा गण भारत है जमीन जो कि स्व० गणेश प्रसाद यादव के नाम से खरीदा गण भारत है जमीन जो कि स्व० गणेश प्रसाद यादव के नाम से खरीदा गण भारत है जमीन जो कि स्व० गणेश प्रसाद यादव के नाम से खरीदा गण भारत है जमान के जमीन जो कि स्व० गणेश प्रसाद यादव के नाम से खरीदा गण भारत है जमान के जमा नाम से खरीदा गया था उक्त जमीन को महेश प्रसाद यादव का यानी अपीलाकर्त्ता 1.इन्द्रावती देवी के पति 2 आनन्य गाया था उक्त जमीन को महेश प्रसाद यादव का यानी अपीलाकर्ता वर्तमान में 1. के पति 2. आनन्द यादव एवं 3. अंगद यादव के पिता महेश प्रसाद यादव तथा अभी वर्त्तमान में 1. इन्द्रावती देती 2 अपना न अपीलकर्त्ता ही वर्ष 1980 से ही खेती करते चले आ रहे हैं। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिक के ही खेती करते चले आ रहे हैं। अपीलार्थी के विज्ञ अधिक रंजय एवं है कि अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा पारित आदेश दिनांक—08.02.2020 (संजय, रंजय एवं अजय गाउन कार्या महिंबगंज के द्वारा पारित आदेश दिनांक कार्या विकासी साहेबगंज के अजय यादव—बनाम—16/आना रैयत) को खरिज किया जाय या अंचल अधिकारी, साहेबगंज के

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा एक लिखित बहस दाखिल किया है, जिसमें उल्लेख किया कि अधिवक्ता द्वारा एक लिखित बहस दाखिल किया है, जिसमें उल्लेख किया न्यायालय को इस मुटेशन पर पुनः विचार हेतु भेजा जाय। गया है कि अपीलार्थी का मूटेशन अपील मेन्टेनेबुल नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी ने अपील दिनांक—08. 02.2020 के आदेश के विरूद्ध दिनांक-09.11.2020 को फाईल किया है जो टाईम वार्ड है। विदित रहे कि 08.02.2020 का आदेश अंचल कर्मचारी, अचंल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर शांति पूर्ण दखल के आधार पर अनुशंसा की गई और निबंधित केवाला के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया है। उतरकारीगण अपने पिता के वैधानिक वारिसान है, इस तथ्या का समर्थन अपीलार्थी ने भी मेमो ऑफ के पारा-02 में किया है। अपीलार्थी का कथन सरासर गलत है और पारा-04 का कथन कि उक्त जमीन स्व० गणेश प्रसाद यादव के पिता-स्व० सत्यनारायण यादव के द्वारा खरीदी गई थी, वास्तव में दिनांक-11.04.1979 को स्व० गणेश प्रसाद यादव ने लक्ष्मीनारायण यादव से निबंधित केवाला के द्वारा क्रय किया था। इसलिए अपीलार्थी का अपील मेन्टेनेबुल नहीं है। अपीलार्थी के अपील के पारा-05 में 16.08.1980 में पंचनामा की चर्चा की गई है। इस संबंध में उतरकारी का यह कहना है कि यह पंचनामा की जानकारी उतरकारी को नहीं है। दाखिल पंचनामा में उतरकारी के पिता का कोई भी हस्ताक्षर तक नहीं है। उतरकारी के पिता ने निबंधित केवाला से जमीन खरीद कर अपने भोग दखल करते आए है एवं मरणोंपरान्त गणेश प्रसाद यादव के वैधानिक वारिसान है और उतरकारियों के दखल कब्जा में है। अतः नामान्तरण, कार्य, दखल, कब्जा के आधार पर होता है, इसलिए निम्न न्यायालय के द्वारा जो नामान्तरण आदेश पारित किया गया है वह सही है।

इसालए गाना जाना के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् अमिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल लिखित बहस तथा अन्य कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा स्वीकृत किया गया मुटेशन, जो

उचित है। अतएव अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत एवं खारिज किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, साहेबगंज का नामान्तरण वाद संo—193/2019—20 आदेश तिथि—08.02.2020 को बरकरार रखा जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में इस वाद के विरूद्ध अपील दायर कर सकते हैं। आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं मूल अभिलेख अंचल अधिकारी, साहेबगंज को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपसमाहर्सा अभि श्रीधार,

साहेबगंज

उपसम्महत्ती भूमि सुधार, साहेबगंज। ज्ञापांक:- 03 /डी०बी०, साहेबगंज, दिनांक- <u>30.03.2</u>023 प्रतिलिपि:-अंचल अधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुलग्नक:--

1.अंतिम आदेश की प्रतिलिपि कुल-02 (दो) पन्ने में।

2.अंचल अधिकारी, साहेबगंज का नामान्तरण वाद सं0-193/2019-20 (संजय यादव वगै0) से संबंधित मूल अमिलेख कुल-05 पन्नों में।

उपसूमाहर्ता अूमि सुधार,

्राम सु साहेबगज।